

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. जवाराम पुत्र सालुराम जाति मेगवाल निवासी अधरीम का तला, तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर	1. करमुराम 2. चागलाराम 3. भारथाराम 4. भारमल पि. लालाराम 5. मीनादेवी पत्नि बचुराम जातियान मेघवाल निवासीगण अधरीम का तला, तहसील धनाऊ 6. गुणेशाराम 7. पारसमल पि. रायमलराम 8. रसाल पत्नि कृष्णकुमार 9. लुणीदेवी पत्नि रमेश कुमार 10. सुआ पत्नि भूपेन्द्रकुमार जाति मेगवाल निवासीगण गोडा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार धनाऊ

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन 288/2024

दिनांक 28.04.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र रवासन मौजा अधरीम का तला के खेत खसरा सं. 279/98 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन-तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



कमांक/भू.अ./2025/563 to 566

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, धनाऊ
2. प्रार्थी जवाराम पुत्र सालुराम।
3. विप्रार्थीगण करमुराम पुत्र लालाराम व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ

—sd—
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 28/04/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
(SDO) चौहटन